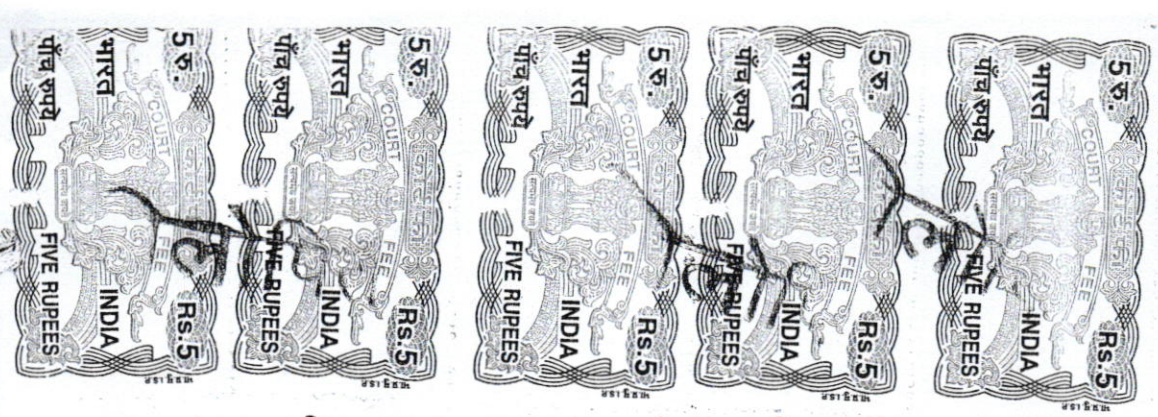

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी नि.ग -1185 - II - 16

श्री ... द्वारा आज दि. 12-4-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ... कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(१) प्रेम
(२) मन्टोले
(३) पप्पू उर्फ भिज्जू
पुत्रगण रामदीन अहिरवार ।

(४) संतोष उर्फ बिल्ले पुत्र उमराव,
निवासीगण वार्ड क्रमांक-६, सेवढ़ा तहसील-सेवढ़ा
जिला दतिया (म०प्र०) ।

------ प्रार्थीगण

बिरुध्द

१- राकेश सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह ठाकुर,
निवासी- पोस्ट आफिस वाली गली,
वार्ड क्रमांक-१२, लहार तहसील लहार,
जिला भिण्ड (म०प्र०) ।

२- वसन्त
३- मलखान
पुत्रगण मन्टोले अहिरवार

४- जगत सिंह पुत्र मदी ।
निवासीगण ग्राम- सयानीपुरा, तहसील
सेवढा जिला दतिया (म०प्र०) ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय सेवढ़ा जिला दतिया दिनांकी २२।३।१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ५६।१५-१६ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं है ।

(24)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक1185-दो-2016- जिला- दतिया

प्रेम विरूद्ध राकेश

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-03-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित अनावेदक क्र 1 की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन तथा अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अधिवक्ता उपस्थित । 2- यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सेवडा जिला दितया के प्रकरण क्रमांक 59/अपील/15-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-03-16 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें पुन: उल्लेखित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आनावेदकगण यानी उभयपक्ष उपस्थित होने के आधार ही स्थगन आदेश समाप्त कर सिविल जेल की कार्यवाही करने के आदेश दिए गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की इस कार्यवाही को अवैध करार देते हुए उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब अधीनस्थ	

प्रकरण क्रमांक 1185-दो-2016- जिला- दतिया

प्रेम विरूद्ध राकेश

न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष उपस्थित हो गये थे तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था तत्पश्चात गुण दोष के आधार पर निकाले गये निष्कर्शो के अनुरूप आगामी कार्यवाही करना चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर स्थगन आदेश समाप्त कर सिविल जेल की कार्यवाही के आदेश दिए गये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.03.2016 को निरस्त करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलित अपील का गुण दोष के आधार निराकरण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक गण के अधिवक्ताओं द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय विधि अनुकूल है जिसे यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4- उभयपक्ष अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 22.03.2016 का परिशीलन किया गया। अवलोकन एवं परिशीलन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 10.03.16 को यथा स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश दिया गया था जिसे दिनांक 22.03.2016 को मात्र 10 दिन वाद ही यह अंकित करते हुए कि उभयपक्ष उपस्थित हो चुके हैं अभिलेख प्राप्त हो चुका है जिसमें प्रकरण अधीनस्थ

प्रकरण क्रमांक 1185-दो-2016- जिला- दतिया

प्रेम विरूद्ध राकेश

न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही हेतु भेजा गया है इसलिए 10.3.16 को दिया गया स्थगन आदेश समाप्त किया जाता है। स्थगन आदेश समाप्त कर सिविल जेल की कार्यवाही के आदेश दिए गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि विधि अनुसार स्थगन 3 माह के लिए जारी किया जा सकता है किन्तु यहां मात्र 10 दिन में स्थगन को समाप्त करने की ऐसी कोई विषम परिस्थिति परिलक्षित नहीं हो रही है जिससे कि स्थगन समाप्त किया जाकार सिविल जेल की कार्यवाही के आदेश दिए जाने की आवश्यकता थी । जब प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित हो गये थे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध हो गया था तब अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वे उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान कर उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण कर प्रकरण में गुण दोष के आधार पर अंतिम निर्णय पारित करते। प्रकरण में मात्र 10 दिन में बिना पर्याप्त कारण के एवं प्रश्नाधीन आदेश में अंकित कारण स्थगन आदेश समाप्त करने के लिए पर्याप्त एवं विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश

प्रकरण क्रमांक:1185-दो-2016- जिला- दतिया

प्रेम विरूद्ध राकेश

के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि चूंकि प्रकरण में बांछित अभिलेख प्राप्त हो चुका है तथा उभयपक्ष भी उपस्थित हो चुके हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत संहिता निहित प्रावधानों के तहत तीन माह में स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य